उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग लखनऊ

अधिसूचना संख्याः यूपीईआरसी/सचिव/विनियमावली/05–256

लखनऊ :दिनांक, 9 जून, 2005

यूपीईआरसी (अन्तःराज्यीय विद्युत व्यपारी के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया निबन्धन और शर्तें और अन्य संबंधित उपबन्ध) विनियमावली, 2004

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 12ए 14ए 52ए 66 और 86 के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व प्रकाशन के पश्चात, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अन्तःराज्यीय विद्युत व्यापारी के लिये व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया, निबन्धन और शर्तें और अन्य संबंधित उपबन्ध) विनियावली 2004 कही जायेगी।

(ख) यह विनियमावली राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र में विद्युत का अन्तर्राज्यीय व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति पर लागू होगी।

(ग) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें और निर्वचन

(1) इस विनियमावली में जब तक सन्दर्भ या विषयवस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो :

'आवेदक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिस ने अन्तःराज्यीय व्यापार के लिये अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आयोग के समक्ष आवेदन किया है।

'अधिनियम' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम 2003 (संख्या 36 सन् 2003) से है;

'अनुबन्ध' का तात्पर्य एक ओर विद्युत व्यापारी एवं विद्युत बिक्रेता के मध्य तथा दूसरी ओर विद्युत व्यापारी एवं विद्युत के क्रेता के मध्य हुए अनुबन्ध से है;

'लेखा विवरण' का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्य के लिये उस लेखा विवरण से है जिसमें लाभ, हानि, लेखा, तुलनपत्र और संसाधनों

एवं निधियों के प्रयोग का विवरण जिसके साथ उसके संबंध में टिप्पणियां जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन सविस्तार वर्णित है, और ऐसी अन्य विशेष बातें और विवरण इस ढंग से होगें जिसे आयोग समय–समय पर निर्देशित करे। यदि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य या क्रियाकलाप में संलग्न हो तो लेखा विवरण आयोग की विनियमावली के अनुपालन में तैयार किए जायेंगे जो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के अन्य कार्य के निर्वहन से संबंधित है और इसमें किसी राजस्व, लागत, परिसम्पत्ति, दायित्व संचय या संभार की राशियों को अलग से दर्शाया जायेगा, जिन्हें या तो :

(एक) अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसाय से किसी अन्य व्यवसाय को अन्यथा प्रतिक्रमात भारित किया गया हो जिसके साथ उस प्रभार के आधार का उल्लेख भी हो या

(दो) अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसाय और अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य व्यवसाय के मध्य संविभाजन अथवा आबंटन के द्वारा निर्धारित किया गया हो जिसके साथ संविभाजन अथवा आबंटन का आधार भी बताया जाएगा।

'वार्षिक लेखा' का तात्पर्य व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किये गये उन लेखों से है जिन्हें उसने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्राविधानों के अनुसार और/अथवा उस ढ़ंग से तैयार किया हो जैसा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा निर्देशित किया जाय;

'क्रियाकलाप का क्षेत्र' का तात्पर्य व्यवसाय अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्रियाकलाप के क्षेत्र से है जिसके भीतर व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारी व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है;

'लेखा परीक्षकों' का तात्पर्य अनुज्ञप्तिधारी के लेखा परीक्षकों से है जो कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1956) की धारा 224 से 234,–क या धारा 619 यथा उपयुक्त अपेक्षानुसार पद धारक हो;

किसी व्यक्ति व्यवसाय अथवा कार्यकलाप के संबंध में 'प्राधिकृत' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति या अधिनियम की धारा.14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पांचवे परन्तुक के अधीन स्वीकृत मानी गयी अनुज्ञप्ति या अधिनियम की द्वारा.13 के अधीन और आयोग की विनियमावली के अधीन स्वीकृत छूट द्वारा प्राधिकृत से है;

'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयेाग से है;

'कार्य संचालन विनियमावली' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमावली 2000 के साथ साथ इसके अन्तर्गत कोई सांविधिक पुर्नअधिनियमन भी शामिल है;

'डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पांचवे परन्तुक के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है;

'वितरण' का तात्पर्य वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के संप्रेषण या चक्रण से है;

'वितरण संहिता' का तात्पर्य आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण प्रणाली के संयोजनों से जोड़ने व उसके संचालन और प्रयोग से संबंधित सभी सारभूत तकनीकी पहलुओं को शासित करने वाली संहिता से है;

'फोर्स मेज्योर' का तात्पर्य अनुज्ञप्तिधारी के युक्तिसंगत नियंत्रण से बाहर की घटनाओं से है जिनमें भूचाल, तूफान, बाढ़, अंधड़, प्रतिकूल मौसम स्थितियां, युद्ध, आतंकवादी आक्रमण, सिविल विद्रोह या अन्य इसी प्रकार की घटनायें है, जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती

हैं जिनके कारण सुसंगत नियमों या विद्युत सुरक्षा से संबंधित विनियमावली का उल्लंघन होगा;

'ग्रिड संहिता' का तात्पर्य राज्य पारेषण सेवा द्वारा विकसित ग्रिड संहिता से है जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो और जो ग्रिड से संयोजनों और उसके परिचालन से संबंधित सभी सारभूत तकनीकी पहलुओं, पारेषण प्रणाली का प्रयोग या (जहां तक पारेषण प्रणाली के परिचालन और प्रयोग से सुसंगत हो) पारेषण प्रणाली, वितरण प्रणाली या किसी प्रदायकर्ता की प्रणाली से जुड़ी हुई विद्युत लाइनों और विद्युत संयत्र का परिचालन और इसमें अन्तरिम ग्रिड संहिता भी सम्मिलित है।

'अन्तर्राज्यीय व्यवसाय' का तात्पर्य किसी विद्युत व्यापारी द्वारा राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर विद्युत के व्यापार से है;

'अनुज्ञप्ति' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति से है जिसके अधीन अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्य के संचालन के लिये प्राधिकृत हो;

'अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्य' का तात्पर्य अनुज्ञप्ति के अधीन यथा प्राधिकृत विद्युत के व्यवसाय के कार्य से है;

'शुद्ध मूल्य' का तात्पर्य प्रदत्त पूंजी प्रीमियम और मुक्त आरक्षित सरप्लस धनराशि से है परन्तु उसमें वह आरक्षित धनराशियां सम्मिलित नहीं होंगी जो परिसम्पत्तियों के पुर्नमूलंकन हेतु निकाला, मूल्य ह्रास का सम्मेलन और राइट बैक किया गया हो।

'अन्य कार्य' का तात्पर्य अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्य से भिन्न व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारी के कार्य से है।

'व्यक्ति' में, कोई कम्पनी अथवा निगमित निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सम्मिलित होंगे;

'विनियमावली' का तात्पर्य अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

'विशिष्ट शर्तों' का तात्पर्य सामान्य शर्तों के अतिरिक्त या उनसे भिन्न उन शर्तों से है जिन्हें आयोग विशिष्ट रूप से व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के लिए निर्धारित करे।

'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

'राज्य अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999) अधिनियम से है जहां तक वह अधिनियम 2003 के प्रतिकूल न हो;

'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से है;

'व्यापार' का तात्पर्य विद्युत की पुनर्बिक्री के लिए विद्युत के क्रय से है और पद व्यापार को तदनुसार समझा जाएगा।

'व्यापार अनुज्ञप्तिधारी' का तात्पर्य व्यापार करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से है और इसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित होगा।

'पारेषण अनुज्ञप्तिधारी' का तात्पर्य उस सत्ता से है जिसे पारेषण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है या जो विद्युत के पारेषण के लिए प्राधिकृत है और अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व पांचवे परन्तुक के अधीन डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी है।

'अन्तरण' में बिक्री, विनिमय, उपहार, पट्टा, अनुज्ञप्ति, ऋण, प्रतिभूतिकरण, बन्धक, प्रभार, गिरवी अथवा किसी अन्य सम्पत्ति पर अधिकार बने रहने की स्वीकृति या अन्यथा सम्पत्ति पर किसी अधिकार के बने रहने की अनुमति देना सम्मिलित होगा।

उपर्युक्त के सिवाय और जब तक संदर्भ या विषय वस्तु के अन्यथा प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम और ग्रिड संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम, या ग्रिड संहिता या अन्तःराज्यीय व्यापार अनुज्ञप्ति में उनके लिए दिया गया है। इस विनियमावली का हिन्दी अनुवाद भी है लेकिन शब्दों और पदों के अर्थ के संबंध में विवाद की दशा में अंग्रेजी प्रति का अर्थमान्य होगा।

(2) यह विनियमावली एक ओर उत्पादकों और व्यापारियों और दूसरी ओर व्यापारियों और अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य उभयपक्षीय हुए व्यापार पर प्रयोज्य होगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग मुक्त उपगम के लिए विनियमावली की प्रकिया में है। राज्य आयोग पावर विनिमय/बाजार को प्रारम्भ करने के लिए विचार करेगा। उन प्रयोजनों के विकास के परिपेक्ष्य में विनियमावली का पुनर्विलोकन और उपान्तरण के लिए समय–समय पर किया जाएगा।

विद्युत व्यापारी होने के लिए अपेक्षायें

3. तकनीकी और वाणिज्यिक अपेक्षायें

(1) व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को उत्पादक उपलब्धता, संयंत्र भार घटक, पारेषण उपलब्धता, अतिरिक्त पारेषण क्षमता और उत्पादन और मांग आदि की अनुसूचीबद्धता का ज्ञान होना चाहिए इसमें तकनीकी क्षमता और नियामक आयोग, राज्य पारेषण सेवा, केन्द्रीय पारेषण सेवा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य/क्षेत्रीय भार डिस्पैच केन्द्रों, मापन, बिल बनाना, राजस्व संग्रह और ऊर्जा लेखा के अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना और तकनीकी बाजार और वाणिज्यिक क्रियाकलाप को प्रबन्ध करने का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। इसके साथ ही नियमावली आयोग या सरकार द्वारा उद्योग में अन्तर्राज्यीय व्यापार की आशयित मात्रा की व्यवस्था करने के लिए लागू संहिताओं और विनियमावली की अद्यतन जानकारी के साथ ग्रिड से संबंधित सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की कुशलता अपेक्षित है। उक्त प्रयोजन के लिये व्यापारी उन कर्मचारियों की एक सूची बनायेगा जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कृत्यों को दक्षतापूर्वक करने में सक्षम हो इसमें अपेक्षित आवश्यक संरचना भी रहेगी। इसलिए आवेदक के पास कम से कम एक पूर्ण समय कार्य करने वाला व्यवसायिक व्यक्ति हो जिसे निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त हो;

(i) इंजीनियर जिसे पावर प्रणाली परिचालन में 7 से 10 वर्ष तक का अनुभव हो।

(ii) वित्त, वाणिज्य और लेखा का विशेषज्ञ जिसके पास चार्टेड एकाउन्टेन्सी/आई सी डब्ल्यू ए/एम.बी.ए. की उपाधि हो और वाणिज्यिक और बाजार व्यवस्थापन से संबंधित क्रियाकलाप का अनुभव हो।

(2) कर्मचारी वर्ग की तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन व्यापारिक क्रियाकलाप प्रारम्भ करने के पूर्व किया जायेगा चाहे आयोग ने अन्तःराज्यीय व्यापार के लिये अनुज्ञप्ति भले ही स्वीकृत कर दी हो।

(3) अन्तःराज्यीय व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक आयोग को अपने वृत्तिक और पूर्णकालिक आधार पर रखे गये सहयोगी और कर्मचारी वर्ग का विवरण प्रस्तुत करेगा।

4. व्यापारी के रूप में अर्हता के लिये यथोचितता पूंजी की अपेक्षा और उधार हेतु विश्वसनीयताः

(1) आवेदक आयोग के समक्ष घोषणा करेगा कि उसके अधिकतम व्यापार की मात्रा कितनी होगी जिसे वह एक माह में करने का प्रस्ताव करता है और प्रारम्भिक तीन वर्षों के दौरान व्यापार के संबंध में भावी योजनाएं क्या होंगी।

(2) आवेदक पूँजी यथोचितता और 30 दिन (एक माह) की उधारी के औसत व्यवस्थापन अवधि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित अधिकतम व्यापार की मात्रा को पूरा करने के लिए पूंजी यथेष्ठता एवं पर्याप्त शुद्ध मूल्य की व्यवस्था प्रत्येक समय रखेगा जिससे आवेदक का विद्युत व्यापारी के रूप में योग्य होना सिद्ध हो जिसकी न्यूनतम अपेक्षायें निम्नलिखित हैं;

(अ) 50 मिलियन यूनिट तक व्यापार के लियेशुद्ध मूल्य अपेक्षा (रूपये मिलियन में) त्र व्यापार की मात्रा (मि0यू0) X 2.00 रूपये प्रति यूनिट

(ब) प्रत्येक अतिरिक्त दस मिलियन यूनिट जो कि 50 मिलियन यूनिट के ऊपर हो, प्रति मास शुद्ध मूल्य अपेक्षा (रूपये मिलियन में) प्रतिमाह=व्यापार की मात्रा (मि0यू0) X 5.00 रूपये प्रति यूनिट

(3) एक मास में 100 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत के व्यापार के लिए सक्षम व्यापारी इस बात का प्रयास करेगा कि वह अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी से विनिधान ग्रेड/क्रेडिट रेटिंग का अनुरक्षण कराये।

(4) पूँजी यथोचितता एक गतिशील कार्य होगा जो व्यापार की मात्रा पर आधारित होता है व्यापारी को आयोग द्वारा उसकी व्यापार योजना के आधार पर इस बात की अनुमति होगी और वह कम्पनी खर्चों के साथ व्यापार की जा रही पावर के 'पूल रेट' से तालमेल बनाये रखेगा; भुगतान में त्रुटि के कारण व्यापारी जोखिम और उसके ग्राहकों द्वारा मूल्य और अनुसूचित विनिमयों में परिवर्तन से व्यापारी के साधारण हिस्से में तत्समान समायोजनों द्वारा आयोग द्वारा नियत पूँजी यथोचितता की प्रारम्भिक सीमा से अधिक और ऊपर, या जैसा आयोग द्वारा उचित समझा जाय, छः माह पर समायोजित किए जाएंगे।

(5) व्यापारी की ऋण क्षमता तीन व्यवस्थापन अवधि के लिए पूँजी यथोचितता द्वारा गुणित प्रतिशत व्यापार दोष के तत्समान होगी। ऋण क्षमता का पुनरीक्षण प्रत्येक छः मास पर पूँजी यथोचितता के पुनरीक्षण के साथ या जैसा आयोग उचित समझे, किया जाएगा।

(6) आयोग, यदि आवश्यक समझे, विद्युत व्यापारी की व्यापार सीमा निर्धारित करेगा।

(7) इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि विद्युत की कमी के कारण विक्रेता अनुचित लाभ उठाने हेतु काल्पनिक दरें लागू कर रहे हैं, आयोग विद्युत के विक्रय अथवा क्रय की दरों की न्यूनतम एसं अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है।

5. डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी

इस विनियमावली के खण्ड 5 और 6 में निहित किसी बात के होते हुए भी विद्युत का अन्तर्राज्यीय व्यापार करने के हकदार डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी से अधिनियम की धारा 14 के अद्दीन अपेक्षा की जाएगी कि वह पूँजी यथोचितता मानक और ऋण क्षमता को सम्मिलित करते हुए ऊपर खण्डों में विनिर्दिष्ट तकनीकी या वित्तीय अपेक्षाओं को प्राप्त करें।

परन्तु यह कि आयोग अधिनियम की धारा 16 के परन्तुक के अधीन सामान्य या विशेष शर्तों को विहित कर सकता है जिनकी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत व्यापारी के क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी।

6.0 अनुज्ञप्तिधारी की अवधि

व्यापार अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के क्रम में आयोग द्वारा उल्लिखित किए जाने वाले दिनांक को अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के निबन्धन और शर्तों के अधीन प्रवृत्त होगी और 25 वर्ष की अवधि के लिए या जैसा आदेश में हो, या जब तक पहले विखण्डित न किया जाए, प्रवृत्त रहेगी।

7.0 विद्युत व्यापारी के कर्तव्य

विद्युत व्यापारी

(क) विद्युत के क्रय और विक्रय और सभी आवश्यक प्राधिकृतीकरण के लिए, जो व्यापार अनुज्ञप्ति द्वारा ऐसे अनुबन्धों के अधीन अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए समर्थ बनाने के लिए यथा अपेक्षित हों; अनुबन्धों की व्यवस्था करेगा;

(ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ विद्युत के, यथास्थिति, पारेषण या आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित अनुबंधों की व्यवस्था करेगा;

(ग) बिल बनाने और व्यवस्थापन अनुबंधों की व्यवस्था करेगा अर्थात् उसके और ऊर्जा के प्रदायकर्ता के मध्य जिसमें उत्पादन कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं या उसके और अन्य

अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य जो विद्युत के क्रेता हैं और उसके और अन्य ग्राहकों के मध्य जो व्यापारी हैं या उपभोक्ता हैं;

(घ) यदि व्यापारी की अपने ग्राहकों के साथ संविदा नियत अवधि के लिए है, तो नियत अवधि की समाप्ति के पूर्व, वह ग्राहकों को सूचना देगा कि समाप्ति कब है और संविदा की समाप्ति के पश्चात् ग्राहक पर प्रयोज्य टैरिफ और निबन्धन और शर्तें क्या होंगी यदि व्यवस्था जारी रखी जाएगी;

(ड.) सभी व्यवसाय संव्यवहारों का अद्यतन रजिस्टर या अभिलेख रखेगा, और

(च) किन्हीं अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा जिन्हें आयोग समय–समय पर निदेश दे।

8ण कानून, नियमावली और विनियमावली का अनुपालन

8ण1 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम, नियमावली, विनियमावली, आदेशों और समय–समय पर आयोग द्वारा जारी निदेशों और सभी अन्य प्रयोज्य कानूनों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना और व्यापार और बाजार के विकास और उन्नति के लिए राज्य सरकार नीति सम्मिलित है।

8ण2 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी इन समान्य शर्तों के अनुसार कार्य करेगा सिवाय जहाँ व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के समय इन सामान्य शर्तों के किन्हीं उपबन्धों से छूट दी गई हो या उनमें से किसी के विचलन के लिए विनिर्दिष्टतया आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर ले।

8ण3 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड संहिता, वितरण संहिता, प्रदाय विनियमावली, प्रदाय की शर्तों और अन्य संहिताओं और मानकों, नेशनल लोड डिस्पैच सेन्टर, रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के आदेशों और निदेशों का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और उनके अनुकूल क्रियाकलाप करेगा जो अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए जारी किये गए हों।

8ण4 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर, राज्य पारेषण सेवा और अन्य के अधीन, यथा अपेक्षित ऐसे डाटा प्रस्तुत करेगा जैसे अधिनियम में उपबन्धित है।

9ण व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के क्रियाकलाप

9ण1 अनुज्ञप्ति प्राप्त या धारा 12 के साथ पठित धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा गया या अधिनियम की धारा 13 के अधीन छूट प्राप्त कोई व्यक्ति, जो पारेषण अनुज्ञप्तिद्दारी से भिन्न हो, राज्य में विद्युत व्यापार के व्यवसाय में लग सकता है।

9ण2 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सेवा को क्रय या अधिकार में लेकर या अन्यथा अर्जित करने का कोई संव्यवहार प्रारम्भ नहीं करेगा।

(ख) उत्पादन कम्पनी या उत्पादन केन्द्र में लाभकारी हित अर्जित नहीं करेगा, या

(ग) विद्युत वितरण के व्यवसाय में नहीं लगेगा।

9ण3 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसाय के प्रयोजन के लिए दिए गए ऋण के दायित्व के लिए उक्त दोनों कार्य करने से पहले आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा। सेवा शर्तों के अनुसरण में कर्मचारियों को दिए गए ऋण और व्यवसाय की समान्य प्रक्रिया के अग्रिम ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा के अन्तर्गत नहीं है।

9..4 व्यापार में सहमति के फलस्वरूप विद्युत के क्रय मूल्य के अतिरिक्त पारेषण प्रभार और उस पर अधिभार जैसे, यथास्थिति, चक्रण प्रभार (विद्युत आगे बढ़ाने का प्रभार) और उस पर अतिरिक्त अधिभार भी होंगे जो समय–समय पर खुला उपागमन विनियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा अवधारित हों।

9.5 विद्युत व्यापार में लगने का इरादा करने वाला व्यक्ति आयोग द्वारा विहित प्रारूप और रीति से आवेदन देगा जिसके साथ राज्य सरकार द्वारा विहित फीस रहेगी।

अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तें

10ण अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व

अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित दायित्वों के अधीन रहेगा :

(क) अनुज्ञप्तिधारी प्रवृत्त कानून की अपेक्षाओं और विशेष रूप से अधिनियम, नियमावली और विनियमावली, ग्रिड संहिता, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्गत आदेशों और निदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अपने शुद्ध मूल्य में वृद्धि करेगा यदि व्यापार की मात्रा निम्नतर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी की ओर बढ़े और श्रेणी के परिवर्तन का विनिश्चय प्रत्येक वर्ष की 31

मार्च को व्यापार की गई विद्युत की मात्रा के आधार पर किया जाएगा जिसके विषय में अनुज्ञप्तिधारी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने के और शुद्ध मूल्य में पश्चाद्वर्ती परिवर्तनों के विषय में आयोग को अवगत रखेगा।

(ग) समय–समय पर आयोग द्वारा नियत राज्य के अन्दर व्यापार के लिए व्यापार सीमा अनुज्ञप्तिधारी पर भी प्रयोज्य होगी।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत व्यापारी होने के लिए आयोग द्वारा इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं, पूँजी पर्याप्तता अपेक्षा और उधार लेने की योग्यता द्वारा शासित होगा और कर्मचारी वर्ग सहित इन तकनीकी और पूँजीगत अपेक्षाओं को उन्नत बनाएगा जब व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो।

(ड.) अनुज्ञप्तिधारी व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविद्दा जैसी पर्याप्त संचार सुविधाओं को स्थापित करेगा।

(च) अनुज्ञप्ति के संबंध में अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी सभी सहायता देगा।

(छ) व्यापार, पक्षकारों के मध्य समुचित संविदा करके उभयपक्षीय किया जाएगा। व्यापार के दौरान विद्युत की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय या व्यापार की गई विद्युत के भुगतान को पक्षों के मध्य करार में सम्मिलित किया जाएगा। सभी व्यापार व्यवस्थाएं क्रेडिट–पत्र या किसी अन्य श्रेष्ठ लिखत के माध्यम से किया जाएगा।

(ज) अनुज्ञप्तिधारी आगे विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार इस विनियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा।

(झ) आयोग किसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जैसे वह समुचित समझे यदि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी कोई ऐसा करार करे जिससे उसकी प्रमुख स्थिति का दुरूपयोग हो या ऐसे समुच्चय में प्रवेश करे जिससे विद्युत उद्योग में प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या पड़े और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

राज्य के बाहर व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की प्रक्रिया

11ण इस विनियमावली के अधीन सभी कार्यवाही कार्य संचालन विनियमावली द्वारा शासित होंगी।

12ण ;1द्ध राज्य के अन्दर व्यापार की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र–। में इस विनियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से किया

जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विहित हो। परन्तु यह कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी फीस विहित न की जाए, तब तक राज्य के अन्दर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के आवेदन के साथ 50ए000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की फीस सचिव, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से देय होगी और इस प्रकार भुगतान की गई फीस का समायोजन किया जाएगा जब भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फीस विहित की जाएगी।

;2द्ध आवेदक कार्य संचालन विनियमावली में विहित के अनुसार अपने आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा और उसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित होंगे :

(क) आवेदन के ऊपर स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में आवेदक का नाम जिससे यह स्पष्ट हो कि आवेदक एक व्यक्ति, भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित हो, उसके कार्यालय पते का पूर्ण विवरण और रजिस्टर्ड कार्यालय पते का पूर्ण विवरण और रजिस्टर्ड कार्यालय पता यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी हो।

(ख) एक अभिकथन कि आवेदक ने अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ;1द्ध के अधीन राज्य के अन्दर व्यापार की अनुज्ञप्ति के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को आवेदन दिया है।

(ग) आवेदक का शेयर रखने का तरीका, वित्तीय और तकनीकी सामर्थ्य और प्रबन्धन रूपरेखा।

(घ) अनुज्ञप्ति स्वीकृति के पश्चात् प्रथम वर्ष के दौरान व्यापार के लिए आशयित पावर की मात्रा और अगले पाँच वर्ष के दौरान व्यापार की भावी योजना।

(ड.) आवेदक या उसी या वैसे ही क्रियाकलाप के प्रबन्धन में लगे व्यक्तियों के पुराने अनुभव का ब्योरा।

(च) भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर आवेदक आयोग को दिए गए आवेदन में कहे गए विद्युत के व्यापार को प्रारम्भ करेगा।

(छ) इस आशय का एक अभिकथन कि आवेदन और समय–समय पर आयोग के समक्ष दाखिल किए गए अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदक के पास उपलब्ध है।

(ज) आवेदक के नियंत्रण के अधीन उस व्यक्ति का नाम और पता और अन्य सुसंगत ब्योरा जिसके पास से आवेदन और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

(झ) इस आशय का एक अभिकथन कि सम्पूर्ण आवेदन आवेदक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (हाँ/नहीं)

;3द्ध जहाँ तक सम्भव हो अनुज्ञप्ति इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र–दो में विहित फार्मेट के अनुसार स्वीकृत की जाएगी और उसमें अन्य विशिष्ट निबन्धन और शर्तें सम्मिलित हो सकती हैं जिन्हें आयोग उपयुक्त और उचित समझे।

13ण निषिद्ध क्रियाकलाप

;1द्ध आयोग के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्तिधारी

(एक) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सेवा का अर्जन नहीं करेगा,

(दो) अपनी सेवा को किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सेवा में विलय नहीं करेगा, या

(तीन) किसी व्यक्ति को विक्रय, पट्टा, विनिमय या अन्यथा अपनी अनुज्ञप्ति को न सौंपेगा या न अन्तरण करेगा।

;2द्ध अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण के व्यवसाय में नहीं लगेगा।

;3द्ध जहाँ कहीं आयेाग के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा हो, अनुज्ञप्तिधारी कार्य संचालन विनियमावली के अनुसार आयोग के समक्ष समुचित आवेदन दाखिल करेगा।

14ण अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान

14ण1 इतनी अवधि के भीतर जितनी आयोग निदेश दे, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग को विशेष शर्तों में उल्लिखित अनुज्ञप्ति फीस का प्रारंभिक और आवधिक भी, भुगतान ऐसी रीति से करेगा जैसा आयोग उक्त विशेष शर्तों में निदेश दे।

14ण2 जहाँ अनुज्ञप्तिधारी इस विनियमावली के सुसंगत खण्ड के अधीन देय किसी फीस का भुगतान नियत दिनांक तक आयोग को करने में विफल रहे :

(क) अन्य दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, उस दिनांक को प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज, जिसके पश्चात् द्दनराशि देय हुई, और उस दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जब भुगतान आयोग को उसके खाते में किया जाए, प्रत्येक मास 1..5

प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान करने का दायी होगा।

(ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनवरत व्यतिक्रम की दशा में, आयोग व्यापार अनुज्ञप्ति को विखण्डित कर सकता है।

15ण अनुज्ञप्तिधारी के लेखे

15ण1 जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुमति न दी गई हो, इन सामान्य शर्तों और अनुज्ञप्त व्यवसाय से संबंधित मामलों के प्रयोजन के लिए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से अनुवर्ती इकतीस मार्च तक होगा।

15ण2 अनुज्ञप्त व्यवसाय और किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी :

(क) ऐसे लेखा अभिलेख रखेगा जो प्रत्येक ऐसे व्यवसाय के संबंध में रखे जाने के लिए अपेक्षित हों जिससे अनुज्ञप्त व्यवसाय की व्यवस्थाएं या तर्कपूर्ण ढंग से मानने योग्य राजस्व, मूल्य, परिसम्पत्तियाँ, दायित्व, आरक्षतियाँ व्यापार अनुज्ञप्तिद्दारी के खातों में अन्य व्यवसाय से संबंधित से जिनमें व्यापार अनुज्ञप्तिधारी लगा हो, अलग–अलग पहचानी जा सकें।

(ख) ऐसे लेखा अभिलेखों से संगत आधार पर लेखा विवरणी तैयार करेगा और आयोग को देगा, अर्थात :–

(एक) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मास के संबंध में, अर्द्धवार्षिक लाभ और हानि लेखा, नकद प्रवहण विवरणी और तुलनपत्र, जिसके साथ ऐसे समर्थनकारी दस्तावेज और सूचना हो, जिन्हें आयोग समय–समय पर निदेश दे, ऐसी विवरणी और दस्तावेजों को आयोग द्वारा निदेशित रीति से प्रकाशित किया जाए।

(दो) तैयार की गई लेखा विवरणी के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि क्या उनकी राय में ये विवरणियाँ इस खण्ड के अनुसार उचित रूप से तैयार की गई हैं और राजस्य, मूल्यों, परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों और व्यवस्थाओं का या तर्कपूर्ण ढ़ंग से ऐसे व्यवसाय के संबंध में मानने योग्य है, जिनके संबंद्द में विवरणी है, सत्य और स्पष्ट आकलन देती हैं; और

(तीन) प्रत्येक अर्द्धवार्षिक लाभ और हानि लेखा की प्रति उस अवधि की समाप्ति के पश्चात जिससे यह संबंधित है, तीन माह से अधिक के पश्चात नहीं और

लेखा विवरणियाँ और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियाँ, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं, जिस अविध से वह संबंधित हो।

15ण्3 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा विवरणियों की तैयारी के मामले में राजस्व के प्रभार या प्रभाजन या आवंटन या व्ययों के आधार को पूर्व वित्तीय वर्ष के संबंध में अपनाए गए उक्त आधार को सामान्यतया आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना परिवर्तित नहीं करेगा। यदि राजस्व के प्रभार या प्रभाजन या व्ययों के आधार में प्रस्तावित कोई परिवर्तन कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों, इस संबंध में आयोग द्वारा जारी लेखा मानकों या नियमावली और किन्हीं दिशा–निदेशों से संगत होगा।

15ण्4 जहां वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा विवरणियों के मामले में, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाए प्रभार या प्रभाजन या आवंटन के अधार में परिवर्तन किया है, तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, यदि आयोग द्वारा निदेशित हो, (उन आद्दारों पर, जिनको उसने अपनाया है, लेखा विवरणियाँ तैयार करने के अतिरिक्त) उस आधार पर, जिसको उसने ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में अपनाया था, ऐसी लेखा विवरणियाँ तैयार करेगा और आयोग को देगा।

15ण्5 ऊपर विनिर्दिष्ट लेखा विवरणियाँ, जब तक या अन्यथा आयोग द्वारा अनुमोदित या निदेशित न हो :

(क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखे आगे दी गई रीति से तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे;

(ख) अपनाई गई लेखा नीतियों को बताएगा;

(ग) सामान्यरूप से स्वीकृत भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार की जाएंगी; और

(घ) उस रूप में तैयार की जाएंगी जिस रूप में आयोग समय–समय पर अपेक्षा करे;

15ण्6 अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसाय या अन्य व्यवसाय के संबंध में तर्कपूर्ण ढंग से मानने योग्य मूल्यों या दायित्वों के सन्दर्भों को कराधान और पूंजी दायित्वों को सम्मिलित करते हुए, जो ऐसे व्यवसाय और उस पर ब्याज से सैद्धान्तिक रूप में संबंधित न होते हों, समझा जाएगा।

15ण्7 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियमावली के अधीन तैयार की गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा विवरणियाँ और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंद्द में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को इस प्रकार प्रचारित किया जाए जिस प्रकार आयोग

निदेश दे और अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उतने मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं जो उनकी द्वितीय प्रति बनाने के लिए तर्क सम्मत हो।

16ण सूचना का प्रस्तुतीकरण

16ण1 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अविलम्ब अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसाय या किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित ऐसी सूचना, दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करेगा जिनकी आयोग अपने निजी प्रयोजन या भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य पारेषण सेवा, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, केन्द्रीय आयोग और/या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे।

16ण2 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना का सम्यक् अनुरक्षण करेगा जिसके लिए आयोग अद्दिनियम की धारा 128 के अधीन निदेश दे।

16ण3 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी भी घटना के विषय में आयोग को भलीभाँति सूचित करेगा जो उसे स्वीकृत अनुज्ञप्ति के अधीन दायित्वों को पूरा करने में बाधा डाले इसमें अन्य व्यक्तियों के द्वारा लोप या करण त्रुटि भी सम्मिलित है और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई भी है। व्यापार अनुज्ञप्तिद्दारी आयोग को यथासम्भव शीघ्र किसी की घटना के घटित होने के विषय में सूचित करेगा जो उसके व्यापार क्रियाकलाप के किसी भाग को सारभूत रूप से प्रभावित करे और किसी भी दशा में यह सूचना ऐसी घटना के दिनांक से दो मास पश्चात् नहीं दी जाएगी।

(क) घटना और उसके कारण के संबंध में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के ज्ञान के अनुसार तथ्यों का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी तर्क सम्मत रूप से उन कारणों का उल्लेख कर सकता है कि उसे ऐसी घटना की पूर्ण रिपोर्ट देने के लिए दो मास से अधिक की अपेक्षा क्यों है।

(ग) बड़ी घटना से संबंधित सभी पक्षों को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें आयोग निदेश दे, रिपोर्ट की प्रतियां देगा।

16ण4 आयोग व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि वह उन व्यक्तियों को मुआवजे की उपयुक्त धनराशि दे जो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता के लोप या करण त्रुटि या उपेक्षा से प्रभावित हो या प्रतिकूल प्रभावित हो।

16ण्5 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अध्ययन भी प्रारम्भ करेगा जिन्हें आयोग व्यापार क्रियाकलाप और व्यापारिक व्यवसाय से संबंधित किसी अन्य मामले के सन्दर्भ में समय–समय पर प्रारम्भ करने का निदेश दे जिसे आयोग लोकहित से आवश्यक समझे। आयोग अपने निजी विवेक से व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के मूल्य और व्यय पर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के क्रियाकलापों पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

16ण्6 आयोग व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से किसी समय अपेक्षा कर सकता है कि वह इस विनियमावली के उपबन्धों का उस रीति से अनुपालन करे जैसा आयोग निदेश दे और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी उन निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

16ण्7 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी व्यापार अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने के तीन मास के भीतर ऐसी अवधि के लिए व्यवसाय योजना प्रस्तुत करेगा जितनी आयोग निदेश दे और ऐसी व्यवसाय योजना को वर्ष वार अद्यतन करेगा। व्यवसाय योजना में वर्ष वार कुल बिक्री, प्रायोजित लाभ और हानि लेखा, प्रायोजित तुलनपत्र, प्रायोजित नकदी प्रवहण विवरणी और प्रायोजित महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर होंगे।

16ण्8 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी अपेक्षाओं, पूंजी पर्याप्तता और ऋण क्षमता की शर्तों का अनुपालन करेगा जो आयेाग द्वारा संबंधित विनियमावली में विहित हों और इस संबंद्ध में सूचना ऐसे अन्तराल पर देगा जितना आयोग विनिर्दिष्ट करे।

17ण् मानकों का अनुपालन

17ण्1 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विनियमावली, दिशा निदेशों, निदेशों और आदेशों का सम्यक् अनुपालन करेगा जिन्हें आयोग तकनीकी और वित्तीय पैरामीटर के संबंध में समय–समय पर जारी करे और व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानकों का अनुरक्षण हर समय किया जाएगा। इन मानकों में तकनीकी अपेक्षाएं, पूंजी पर्याप्तता और ऋण क्षमता सम्मिलित है जो आयोग द्वारा समय–समय पर संशोधित, उपान्तरित और प्रतिस्थापित करके अद्दिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य के अन्दर विद्युत व्यापारी) में वर्णित है।

17ण्2 ऊपर उपखण्ड (1) के अनुसार तकनीकी और वित्तीय पैरामीटरों का अनुरक्षण न करना व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के दायित्वों का सारभूत अतिलंघन माना जाएगा।

18ण् निष्पादन के मानक

अनुज्ञप्तिधारी इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र–चार में विहित प्रारूप में मासिक आधार पर आयोग को निष्पादन का ब्यौरा प्रत्येक मास के 15 वें दिन तक या जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

19ण विवेकपूर्ण रिपोर्ट करना

अनुज्ञप्तिधारी यथाशीघ्र व्यवहार्य निम्न के संबंध में आयोग को रिपोर्ट करेगा :

(क) परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आयोग, ग्रिड कोड, करार या अनुज्ञप्ति द्वारा जारी निदेशों/आदेशों, अधिनियम, नियमावली और विनियमावली के अधीन दायित्वों को पूरा करने की अनुज्ञप्तिधारी की योग्यता को प्रभावित करें।

(ख) अधिनियम, नियमावली और विनियमावली, आयोग द्वारा जारी निदेशों/आदेशों, ग्रिड कोड, करार या अनुज्ञप्ति के उपबन्धों का कोई सारभूत अतिलंघन।

(ग) हिस्सेदारी के नमूने, स्वामित्व एवं अनुज्ञप्तिधारी के प्रबन्धन में बृहत परिवर्तन।

20ण अनुज्ञप्ति का संशोधन

20ण1 अनुज्ञप्ति का संशोधन समय–समय पर यथासंशोधित उ0 प्र0 वि0 नि0 आ0 (कार्य संचालन) विनियमावली के उपबन्धों द्वारा शासित होगा जब तक कि इस विनियमावली और अनुज्ञप्ति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

20ण2 अनुज्ञप्ति की इन सामान्य शर्तों को किसी भी समय, आयोग द्वारा जब वह उचित समझे, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है यदि अधिनियम की धारा 18 के अद्दीन शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा लोकहित में हो। किसी उपर्युक्त परिवर्तन या संशोधन के लिए, व्यापार अनुज्ञप्ति में किसी परिवर्तन या संशोधन किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे :–

(क) जहाँ व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ;1द्ध के अधीन अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों में किसी परिवर्तन या संशोधन का प्रस्ताव करते हुए आवेदन दिया हो, तो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदन की एक नोटिस ऐसी विशिष्टियों के साथ और ऐसी रीति से, जिसे आयोग निदेशित करे, प्रकाशित करेगा।

(ख) क्रियाकलाप के क्षेत्र में, जिसमें किसी छावनी, हवाई अड्डा, किला, आयुधशाला, पोत बाड़ा या कैम्प या कोई भवन या स्थान जो सुरक्षा प्रयोजनों से सरकार के अधिभोग में हो, समाविष्ट है, परिवर्तन या उपान्तरों को प्रस्तावित करने वाले

आवेदन की दशा में, परिवर्तन या उपान्तर केवल केन्द्र सरकार की सहमति से किए जाएंगे।

(ग) जहाँ व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से भिन्न अनुज्ञप्ति में परिवर्तन या संशोद्दन किए जाने का प्रस्ताव है, जो आयोग ऐसी विशिष्टियों के साथ और ऐसी रीति से, जैसा वह समुचित समझे, प्रस्तावित परिवर्तन और संशोधन को प्रकाशित करेगा;

(घ) आयोग कोई परिवर्तन या संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर सभी प्राप्त सुझावों और अपत्तियों पर उसके द्वारा विचार न कर लिया जाए।

21ण अनुज्ञप्ति का विखण्डन

21ण1 अनुज्ञप्ति के विखण्डन के उपबन्ध और प्रक्रिया उ0 प्र0 वि0 नि0 आ0 (कार्य संचालन) विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार होगी जब तक कि इस विनियमावली और अनुज्ञप्ति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

21ण2 अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई विनियमावली के अद्दीन रहते हुए, आयोग किसी भी समय व्यापार अनुज्ञप्ति रहते हुए, आयोग किसी भी समय व्यापार अनुज्ञप्ति के विखण्डन के लिए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है और यदि लोकहित पर सम्यक विचार करते हुए विखण्डन के आधारों पर ऐसी कार्यवाही से संतुष्ट है तो अनुज्ञप्ति को विखण्डित कर सकता है।

(क) जहाँ आयोग की राय में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या विनियमावली के अधीन उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित किसी कार्य में सारभूत अतिलंघन या जानबूझकर त्रुटि करे;

(ख) जहाँ व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के किसी ऐसे निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करे जिसके विषय मे स्पष्ट रूप से यह घोषणा हो कि अनुज्ञप्ति खण्डन योग्य हो जाएगी।

(ग) जहाँ व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत अवधि या और अधिक अवधि के भीतर या और निम्नलिखित के बारे में विफल रहे तो –

(एक) आयोग की संतुष्टि के अनुसार यह प्रदर्शित करे कि वह पूर्णतया इस स्थिति में है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति के संबंध में आरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकता है; या

(दो) अपनी अनुज्ञप्ति के संबंध में अपेक्षित जमा या प्रतिभूति दे सकता है या फीस या अन्य प्रभारों का भुगतान कर सकता है;

(घ) जहाँ आयोग की राज्य में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि वह स्वयं पर आरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में पूर्णतः असमर्थ है; और

(ड.) जहाँ व्यापार अनुज्ञप्तिधारी सभी विनियमावली, संहिताओं और मानकों और आयोग के आदेशों और निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहा है या अन्यथा ऐसा कोई कार्य किया है जो व्यापार अनुज्ञप्ति को अधिनियम या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या विनियमावली में कहे गए किसी अन्य आधार पर विखण्डन योग्य ठहराता है।

21ण3 जहाँ आयोग की राज्य में लोकहित में ऐसी अपेक्षा हो, आयोग आवेदन पर या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से, उसकी सम्पूर्ण अनुज्ञप्ति को या व्यापार के उसके क्षेत्र के किसी भाग की अनुज्ञप्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, विखण्डित कर सकता है।

21ण4 व्यापार अनुज्ञप्ति का विखण्डन करने के पूर्व, आयोग व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के लिए कह सकता है जिसे आयोग लोकहित में आवश्यक समझे और ऐसी सम्पूर्ण व्यवस्था व्यापार अनुज्ञप्तिद्दारी के मूल्य और जोखिम पर होगी।

22ण पत्राचार

ख1, अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित सभी पत्राचार लिखित में होगा और प्राप्तकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को दिया जाएगा या प्राप्तकर्ता के व्यवसाय के स्थान पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा।

ख2, सभी पत्राचार को प्रेषक द्वारा भेजा गया समझा जाएगा और प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(एक) जब प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या उसके अभिकर्ता को दिया जाए;

(दो) प्राप्तकर्ता के पते पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने के दिनांक से 15 दिन के अवसान पर।

23ण विवाद समाधान

23ण्1 आयोग विवाचक के रूप में कार्य करने का हकदार होगा या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के मध्य या अधिनियम की धारा 158 के साथ पठित धारा 86 की उपधारा ;1द्ध के खण्ड (च) और आयोग की विनियमावली के अनुसरण में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के मध्य विवादों को न्याय निर्णीत करने और निपटाने के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) को विवाचक (विवाचकों) के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

23ण्2 विवादों के लिए विवाचन की कार्यवाही आयोग द्वारा प्रारम्भ और संचालित की जा सकती है या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य संचालन विनियमावली के अनुसार यथास्थिति विवादों को अन्यों के विवाचन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

24ण् व्यापारिक लाभ (मार्जिन)

24ण्1 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी उन प्रभारों से अनुमानित राजस्व की गणना करेगा जिन्हें उसे व्यापार जमा के रूप में अधिनियम, राज्य अधिनियम के उपबन्धों आयोग की विनियमावली, समय–समय पर आयोग द्वारा जारी टैरिफ निबन्धन और शर्तों और अन्य दिशा–निदेशों, आदेशों, निदेशों के अनुसार वसूल करने की अनुमति है यदि आवश्यक समझा जाए।

24ण्2 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी कार्य संचालन विनियमावली में दी गई रीति से और अधिनियम की धारा 61 के अधीन विनियमावली के अनुरूप संभावित राजस्व गणना दाखिल करेगा।

24ण्3 जब तक आयोग द्वारा निर्मित विशेष शर्तों या किसी अन्य आदेश या निदेश में अन्यथा उपबन्धित न हो, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष, 30 नवम्बर के पश्चात् नहीं, आयोग को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके संभावित कुल राजस्व का पूर्ण व्योरा और अधिनियम के उपबन्धों और समय–समय पर आयोग द्वारा जारी विनियमावली, दिशा–निदेशों और आदेशों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमत व्यापार जमा पर आधारित उसके अनुज्ञप्त व्यवसाय के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सेवा का मूल्य होगा।

25ण् विविध

25ण्1 इन सामान्य शर्तों और उनसे संबंधित निबन्धन और शर्तों के निर्वचन के संबंध में सभी बिन्दु आयोग के अवधारण का विषय होंगे और ऐसे बिन्दुओं पर आयोग का विनिश्चय, अधिनियम की धारा–111 के अधीन केवल अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

25ण्2 व्यापार अनुज्ञप्ति को स्वीकृत करते समय आयोग इन सामान्य शर्तों के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन से या तो अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के आदेश में या विशिष्ट व्यापार अनुज्ञप्तिधारी पर प्रयोज्य की गयी विशेष शर्तों द्वारा छूट या उपान्तर कर सकता है।

25ण्3 इसमें निहित सामान्य शर्तें अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात व्यापार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के सभी आवेदनों पर और अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुक के अधीन सभी डीम्ड व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होंगी।

26ण् आदेशों का जारी किया जाना और व्यवहार में आने वाले निदेश

विद्युत अधिनियम 2003 के उपबन्धों और इस विनियमावली के अधीन रहते हुए, आयोग, समय–समय पर इस विनियमावली के कार्यान्वयन और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और बहुत से विषयों के संबंध में आदेश और व्यवहार में आने वाले निदेश जारी कर सकता है जिनके विषय में आयोग को इस विनियमावली द्वारा निदेश देने और उनके अनुषंगी और सहायक विषयों के संबंध में सशक्त किया गया है।

27ण् कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इस विनियमावली के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन कार्यों को कर या करवा सकता है या अनुज्ञप्तिद्वारियों को करने या करवाने को कह सकता है जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन है।

28ण् संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के किसी उपबन्ध में वृद्धि, परिवर्तन, भिन्नता, उपान्तर या संशोधन कर सकता है।

29.0 मूल वितनयमावली अंग्रजी में है और इसका अनुवाद हिन्दी में किया गया है। विवाद की स्थिति में अग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

आयोग के आदेश

दिनांक :.....
स्थान : लखनऊ

आयोग के सचिव

प्रपत्र–एक

(राज्य के अन्दर विद्युत व्यापारी के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की प्रक्रिया, निबन्धन और शर्तें और अन्य संबंधित उपबन्ध)

विनियमावली, 2003

व्यापार अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पता :
3. मध्यस्थ व्यक्ति का नाम, पद और पता :
4. सम्पर्क दूरभाष संख्या :
5. फैक्स संख्या :
6. ई–मेल पता :
7. निगमीकरण/पंजीकरण का स्थान :
8. निगमीकरण/पंजीकरण का वर्ष :
9. निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाए

   (क) पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

   (ख) व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण–पत्र

   (ग) श्री..... आवेदक या उसके प्रोत्साहक को हस्ताक्षरी का मूल मुख्तारनामा

   (घ) आयकर पंजीकरण का ब्योरा

<u>आवेदक के वित्तीय डाटा का ब्योरा</u>

10ण ठीक पूर्ववर्ती 5 (पांच) वित्तीय वर्षों की कुल संपत्ति (समतुल्य भारतीय रूपये में प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय दर पर अन्तरण किया जाए) (प्रयोज्य वित्तीय वर्ष को विनिर्दिष्ट करे) :

दिनांक..... से दिनांक .....

प्रपत्र–एक

घरेलू विनिमय में समतुल्य

प्रयुक्त मुद्रा दर भारतीय रूपये में

(क) वर्ष 1 ; द्ध से ; द्ध ....

(ख) वर्ष 2 ; द्ध से ; द्ध ....

(ग) वर्ष 3 ; द्ध से ; द्ध ....

(घ) वर्ष 4 ; द्ध से ; द्ध ....

(ड.) वर्ष 5 ; द्ध से ; द्ध ....

(च) वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित लेखा परीक्षित परिणाम की प्रतियाँ जो उपर्युक्त के समर्थन में संलग्न की जाएं।

11ण ठीक पूर्ववर्ती 5 (पांच) वित्तीय वर्षों की वार्षिक टर्नओवर (समतुल्य भारतीय रूपये में–प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय दर पर अन्तरण किया जाए) (यथा प्रयोज्य वित्तीय वर्ष विनिर्दिष्ट करे) :

दिनांक..... से दिनांक .....

घरेलू विनिमय में समतुल्य

प्रयुक्त मुद्रा दर भारतीय रूपये में

(क) वर्ष 1 ; द्ध से ; द्ध ....

(ख) वर्ष 2 ; द्ध से ; द्ध ....

(ग) वर्ष 3 ; द्ध से ; द्ध ....

(घ) वर्ष 4 ; द्ध से ; द्ध ....

(ड.) वर्ष 5 ; द्ध से ; द्ध ....

(च) वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित लेखा परीक्षित परिणाम की प्रतियाँ जो उपर्युक्त के समर्थन में सलग्न की जाएं।

12ण ऊपर क्रम संख्या ;10द्ध और ;11द्ध के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का नाम :

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(घ) .....

प्रपत्र–एक

13ण क) क्या आवेदक स्वयं प्रस्तावित व्यापार में पूर्णतः अपनी ओर से ही पूँजी लगाएगा।

हाँ/नहीं

तुलन पत्र

(क) यदि हाँ, तो आवेदक का प्रस्तावित अंश

(एक) धनराशि :

(दो) प्रतिशत :

14ण यदि आवेदक पूँजी के लिए किसी अन्य अभिकरण के साथ : जुड़ने का प्रस्ताव करता है तो ऐसे अभिकरण का नाम और पता

(क) अन्य अभिकरण के संबंधित व्यक्ति का नाम, : पद और पता :

(ख) संपर्क दूरभाष संख्या :

(ग) फैक्स संख्या :

(घ) ई–मेल पता :

(ड.) अन्य अभिकरण से प्रस्तावित अंश

(एक) धनराशि :

(दो) कुल पूँजी का प्रतिशत :

(तीन) मुद्रा जिसमें अंश प्रस्तावित है

(च) आवेदक के साथ अंश भागीदारी में जुड़ने के लिए अन्य अभिकरण का सहमति पत्र संलग्न किया जाए।

(छ) आवेदक और अन्य अभिकरण के मध्य प्रस्तावित गठजोड़ की प्रकृति

15ण व्यापार क्रियाकलाप के लिए प्रस्तावित ऋण का ब्योरा

(क) उधार देने वालों का ब्योरा

(ख) .....

से ऋण के रूप में ली गई धनराशि।

विभिन्न उधारदाता

(ग) उपर्युक्त के समर्थन में उधार दाताओं के पत्र संलग्न किए जाएं :

16ण आवेदक की संगनात्मक प्रबंधकीय क्षमता :

प्रपत्र–एक

(इस विनियमावली के संदर्भ में आवेदक से अपेक्षा है कि वह अपनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करें)

17ण पहुँच और कार्य प्रणाली :

(आवेदक से अपेक्षा है कि वह यथा प्रस्तावित व्यापार व्यवस्थाओं के अधिष्ठान के लिए पहुँच और कार्य प्रणाली का वर्णन करे)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान :

टिप्पणी : प्रस्तावित संगठनात्मक रचना और विभिन्न कार्यकारिणियों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविद्दाओं आदि का करीकुला विटा से संबंधित घोषणाएं संलग्न करें।

प्रपत्र–दो

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति

1. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एतद्पश्चात जिसे 'आयोग' कहा गया है), विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके (एतद्पश्चात जिसे 'अधिनियम' कहा गया है)

अद्दिनियम में दिए गए निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुए (विशिष्टतः उसकी धारा 17 से 22 , दोनों सम्मिलित हैं), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमावली (जिसे आगे 'विनियमावली' कहा गया है), जिसमें कानूनी संशोधन, उपान्तरण, उनके अधिनियम, जिसे इस अनुज्ञप्ति का हिस्सा समझा जाएगा, ... क्षेत्र में विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए एतद्द्वारा यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है।

2ण अधिनियम के उपबन्धों, नियमावली और विनियमावली के अनुसार के सिवाय यह अनुज्ञप्ति अन्तरणीय नहीं है।

3ण ;1द्ध आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्तिधारी –

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सेवा को क्रय या अधिग्रहण या अन्यथा अर्जन करने का कोई संव्यवहार नहीं करेगा; या

(ख) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सेवा के साथ अपनी सेवा का विलय नहीं करेगा।

;2द्ध उपखण्ड ;1द्ध में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई करार, जब तक आयोग के अनुमोदन से न किया गया हो, शून्य होगा।

4ण अनुज्ञप्तिधारी को इस अनुज्ञप्ति की स्वीकृति किसी भी प्रकार से आयोग द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसी क्षेत्र के भीतर विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के अधिकार में बाधा या रोक नहीं लगाएगी। अनुज्ञप्तिधारी किसी अनन्यता का दावा नहीं करेगा।

5ण यह अनुज्ञप्ति निर्गमन के दिनांक से प्रारम्भ होगी और जब तक पहले ही विखण्डित न कर दी जाए, 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी।

6ण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को पूर्व सूचना देकर अपनी परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए किसी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के पारेषण के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।

7ण जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी ..... लाख रूपये की वार्षिक अनुज्ञप्तिधारी फीस का भुगतान करेगा और वर्ष के किसी भी भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान प्रो–राटा आधार पर किया जाएगा। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वर्ष का तात्पर्य किसी वर्ष के 1 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक बारह मास की अवधि से है।

प्रपत्र–दो

8ण अधिनियम की धारा 19 से 22ए दोनों सम्मिलित हैं, में निहित उपबन्ध अनुज्ञप्ति के विखण्डन और अनुज्ञप्तिद्दारी की सेवा के विक्रय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी पर प्रवृत्त होंगे।

9ण (आयोग द्वारा विहित की जाने वाली कोई विशिष्ट शर्त (शर्तें))

सचिव

स्थान : लखनऊ
दिनांक :.....

प्रपत्र–तीन

(राज्य के अन्दर विद्युत व्यापारी के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की प्रक्रिया, निबन्धन और शर्तें और अन्य संबंधित उपबन्ध)

विनियमावली, 2003

त्रिमास (जनवरी से मार्च, 2004) की सूचना के प्रस्तुतीकरण का प्रोफार्मा

व्यापारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का ब्योरा (संख्या और दिनांक) :

क्रम संख्या :

मिलियन किलो वाट आवर में व्यापार की मात्रा :

..... से खरीदी।

..... को बेची।

क्रय का बिन्दु :

क्रय का मूल्य :

विक्रय मूल्य :

विक्रय मूल्य :

विक्रेता/व्यापारी/क्रेता जो लागू न हो उसे काट दें, द्वारा वहन किया गया पारेषण/चक्रण प्रभार

विक्रेता/व्यापारी/क्रेता जो लागू न हो उसे काट दें, द्वारा वहन की गई पारेषण हानियाँ

विक्रेता/व्यापारी/क्रेता जो लागू न हो उसे काट दें, द्वारा वहन किए गए यू आई प्रभार

अभ्युक्ति

प्रपत्र–चार

(व्यापार अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए प्रक्रिया, निबन्धन और शर्तें और अन्य संबंधित मामले)

विनियमावली, 2003

विद्युत व्यापारी के सम्पादन के मानकों के प्रस्तुतीकरण का प्रोफार्मा

(राज्य भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए)

व्यापारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का ब्योरा (संख्या और दिनांक) :

क्रम संख्या	त्रिमास के दौरान व्यापार की संख्या	वर्तमान त्रिमास तक संचित	क्या व्यापारी की श्रेणी में कोई परिवर्तन है	क्या श्रेणी में परिवर्तन के कारण शुद्ध पूँजी	क्या श्रेणी में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त	क्या अनुज्ञप्ति की शर्तों के किसी उल्लंघन को	व्यापार के लिए क्रय की गयी ऊर्जा के	अभ्युक्ति

		व्यापार	(हाँ / नहीं)	में वृद्धि हुई (हाँ / नहीं)	फीस अनुज्ञप्ति आयोग में जमा करदी गयी (हाँ / नहीं)	किसी अभिकरण द्वारा इंगित किया गया या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं देखा गया	भुगतान का ट्रैक अभिलेख	

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION No.: UPERC/Secy/Regulation/05-256
Lucknow : Dated, 9 June, 2005

UPERC (Procedure Terms & Conditions for grant of Trading Licence for Intrastate Electricity Trader and other related provisions) Regulation, 2004.

In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 12,14,52, 66,and 86 of the Electricity Act, 2003 and of all other powers enabling in this behalf, and after previous publications, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short Title and Commencement**

(a) These regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for grant of Trading License for Intrastate Electricity Trader and other related Provisions) Regulations, 2004

(b) This Regulation shall apply to any person undertaking intra-state trading of electricity in the territory of the State.

(c) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions and Interpretation**

(1) In these regulations unless the context or subject-matter otherwise requires:

"Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

"Applicant" means a person who has made an application to the Commission for grant of licence for intra-state trading of electricity;

"Agreement" means the agreement entered into between the electricity trader and the seller of electricity on the one hand, the electricity trader, and the buyer of electricity on the other;

"Accounting Statement" means for each financial year, accounting statements for the Licensed Business comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of sources and application of funds, together with notes thereto as detailed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and such other particulars and details in the manner as the Commission may direct from time to time. If the Trading Licensee engages in any business or activity in addition to the Licensed Business, the accounting statements shall comply with the regulations of the Commission dealing with the treatment of Other Business of Trading Licensees and show separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision, which has been either:

(i) Charged from the Licensed Business to any Other Business or vice versa together with a description of the basis of that charge; or

(ii) Determined by apportionment or allocation between the Licensed Business and any Other Business of the Trading Licensee together with a description of the basis of the apportionment or allocation.

"Annual Accounts" means the accounts of the Trading Licensee prepared in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and/or in such other manner as may be directed by the Commission in terms of the provisions of the Act;

"Area of Activity" means the area of activity stated in the Trading License within which the Trading Licensee is authorized to trade;

"Auditors" means the Trading Licensee's auditors holding office in accordance with the requirements of Sections 224 to 234A or Section 619 as appropriate, of the Companies Act 1956 (1 of 1956);

"Authorized", in relation to any Person, business or activity, means authorised by licence granted under Section 14 of the Act or deemed to be granted under the first second third and fifth proviso to Section 14 of the Act or exemption granted under Section 13 of the Act and the regulations of the Commission;

"**Commission"** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

"Conduct of Business Regulations" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2000,as amended from time to time and includes any statutory re-enactment thereof;

"Deemed Licensee" means a person ~~authorised~~authorized under the first, second, third and fifth proviso to section 14 of the Act.

"Distribution" means the conveyance or wheeling of electricity by means of a Distribution System;

"Distribution Code" means the Code governing all material technical aspects relating to connections to and the operation and use of the Distribution System as approved by the Commission;
"Force Majeure" means events beyond the reasonable control of the Licensee, including, but not limited to earthquakes, cyclones, floods, storms, adverse weather conditions, war, terrorist attacks, civil commotion or other similar occurrences that leads to any act that would involve a breach of relevant laws or regulations concerned with electrical safety;
"Grid Code" means the grid code developed by the State Transmission Utility approved by the Commission, covering all material technical aspects relating to connections to and the operation of the Grid, the use of a Transmission System, or (in so far as relevant to the operation and use of a Transmission System) the operation of electric lines and electrical plant connected to the Transmission System, the Distribution Systems, or the system of any Supplier, and shall include the Interim Grid Code;
"Intra-state trading," means trading in electricity within the territory of the State by an electricity trader;
"Licence" means the licence under section 14 of the Act under which the Licensee is authorized to conduct the Licensed Business;
"Licensed Business" means the business of Trading in electricity as authorised under the licence;
"Net worth" means the sum total of paid up capital, premium, free reserves and surplus but shall not include reserves credited out of revaluation of assets, write back of depreciation provisions and amalgamation.
Other Business" means business of the Trading Licensee other than the Licensed Business;
"Person" shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person;
"Regulations" means the regulations made by the Commission, under the provisions the Act or the State Act;
"Specific Conditions" means the conditions in addition to or in variation of the General Conditions which the Commission may lay down specifically for a trading licensee;
"State" means the State of Uttar Pradesh;
"State Act" means the Uttar Pradesh (Uttar Pradesh Electricity Reform Act 1999) not inconsistent with Act-2003.
"State Government" means the Government of the State of Uttar Pradesh;
"Trading" means purchase of electricity for resale thereof and the expression trade shall be construed accordingly;
"Trading Licensee" means the Licence under section 14 of the Act for undertaking Trading and shall include Deemed Licensee for the purpose.
"Transmission Licensee" means the entity, which has been granted a Transmission Licence or is a deemed Licensee under the first, second, third or fifth proviso of Section 14 of the Act authorized to transmit electricity;
"Transfer" shall include the sale, exchange, gift, lease, licence, loan, securitisation, mortgage, charge, pledge, or grant of any other encumbrance or otherwise permitting of any encumbrance to subsist;
Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, and the Grid Code shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the Grid Code or the licence for intra-state trading. There shall be a Hindi translation of this Regulation also however in case of dispute as to the meaning of words and expression, the interpretation of this English version shall prevail ;

(2) These regulations shall be applicable to trading carried out bilaterally between generators & traders on the one hand and the traders and licensees on the other. The U.P. Electricity Regulatory Commission is in the process of framing regulations for open access. The State Commission shall also consider in future for introduction of power exchange/market. These regulations shall be reviewed and modified, from time to time, to keep pace with these developments.

REQUIREMENTS FOR BEING AN ELECTRICITY TRADER

3. **Technical and Commercial Requirements**

(1) The applicant for trading licence shall have understanding of generation availability, Plant Load Factor, transmission availability, extra transmission capacity and scheduling of generation and demand etc. including the technical capability and resources to coordinate with Regulatory Commissions, State Transmission Utility, Central Transmission Utility, Central Electricity Authority and State/Regional Load Dispatch Centers, agencies for metering, billing, revenue realization and energy accounting and capabilities adequate to manage technical ,market and commercial functioning with each of the interacting player in the grid along with updated

awareness of rules, codes and regulations enforced in the industry by the Commission or the Government in order to handle the intended volume of intra-state trade. For the said purpose the trader shall place employee profile capable of handling the said specific functions efficiently besides necessary required infrastructure. Therefore, the applicant shall have at least one full-time professional having, experience in each of the following disciplines, namely:

(i) Engineer having 7-10 years experience in Power system operations,

(ii) Expert in Finance, commerce, and accounts having degree in Chartered Accountancy/ ICWA/MBA with experience in commercial and market settlement activities

(2) The technical requirement of staff shall be complied with before undertaking trading activities, notwithstanding the fact that the Commission has granted the licence for intra-state trading.

(3) The applicant shall furnish to the Commission the details of the professional and the supporting staff engaged by him on full-time basis before undertaking intra-state trading.

4. **Capital adequacy Requirement and Creditworthiness to qualify as Trader**:

(1) The applicant shall declare to the Commission the maximum trading volume the applicant proposes to handle in a month and its future plans of trading during the initial three years.

(2) The applicant shall maintain at all times the capital adequacy and net worth sufficient to cover the maximum trading volume supported by documentary evidence over an average settlement period of 30 days (one month) worth of credit for the applicant as an electricity trader subject to the following minimum requirements;

(a) Trade upto 50 Million Units (MU),
Net Worth Requirement(Rs. million) = Trade Volume(MU) * Rs. 2.0 per unit

(b) For each addition of 10 MU over and above 50 Million Units (MU) per month,
Net Worth Requirement (Rs. million) = Trade Volume (MU) * Rs3.0 per unit

(3) The trader, considered for trading of electricity for more than 100 MU in a month, shall make endeavors to maintain investment grade credit rating from an independent Credit Rating Agency throughout the period of the Licence.

(4) Capital Adequacy shall be a dynamic function based on quantum of trade, the trader is allowed by the Commission on the basis of its business plan and shall correspond to 'pool rate' of the power handled by the trader along with company expenses; trade risks on account of default in payment and change in price adjusted six monthly by the corresponding adjustments in the equity of the trader over and above the initial limit of capital adequacy fixed by the Commission or as deemed fit by the Commission.

~~(5)~~(5) Credit Worthiness of the trader shall correspond to percentage trade default in multiplied by the capital adequacy for three-settlement period. The credit worthiness shall be revised six monthly with the revision in capital adequacy or as deemed fit by the Commission.

(6) The Commission, if considered necessary, shall fix trading margin to the electricity trader.

(7) The Commission may fix minimum and maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity on being satisfied that sellers are taking undue advantage of shortage and indulging in speculated prices. Any contravention shall be dealt with under the provisions of Conduct of Business Regulation.

5. **Deemed Licensee: -**

Notwithstanding anything contained otherwise in this Regulation the Deemed Licensees under Section 14 of the Act entitled to undertake intra-state trading in electricity shall be required to have the technical and financial requirements as specified in the above clauses including the capital adequacy norm and the credit worthiness.

Provided that the Commission may under the proviso to Section 16 of the Act lay down general or special conditions, which such licensee shall be required to comply to continue the activities of an electricity trader.

6. **Term of Licence:**

The Trading Licence shall come into force on the date to be mentioned by the Commission in the order granting the licence and subject to the terms and conditions of the grant of licence shall remain in force for the period of 25 years or as mentioned in the Order until or unless revoked earlier.

7. **Duties of Electricity Trader:**

The Electricity Trader shall:

(a) Have in place all agreements or arrangements for the purchase and sale of electricity, and all necessary authorisations as required by the Trading Licence to be able to perform its obligations under such agreements;

(b) Have in place the requisite Agreements with the Transmission Licensees and Distribution Licensees for the transmission or wheeling of electricity, as the case may be;

(c) Have in place Billing and Settlement Agreements, i.e. between him and the supplier of energy including the generating companies or, between him and other Licensees, who are purchasers of electricity and also between him and the customers, who are traders or consumers;

(d) If the contract of the trader with its customer is for a fixed term, then prior to the expiry of the fixed term, he shall inform the customer as to when the expiry will occur and the tariffs and terms & conditions applicable to the customer beyond the expiry of the contract, if the arrangement is continued;

(e) Maintain an up to date register or record of all the business transactions; and

(f) Comply with any other requirements as the Commission may direct from time to time.

8. **Compliance with Laws, Rules and Regulations**

8.1 The Trading Licensee shall comply with the provisions of the Act, Rules, Regulations, orders and directions issued by the Commission from time to time and the provisions of all other applicable laws including National Electricity Policy and Plan, and State Government policy for development and promotion of trading and market.

8.2 The Trading Licensee shall act in accordance with this General Conditions except where the Trading Licensee is exempted from any provisions of these general conditions at the time of the grant of licence or otherwise specifically obtains the approval of the Commission for any deviation there from.

8.3 The Trading Licensee shall duly comply with and undertake the activities consistent with the Grid Code, Distribution Code, Supply Regulations, Conditions of Supply and other codes and standards, orders and directions of the National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre, Central Electricity Authority and the State Load Despatch Centre and other statutory authorities, issued in the discharge of their functions Under the Act or the State Act.

8.4 The Trading Licensee shall submit such data as required under the Act by the Commission, Central Electricity Authority, State Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre, the State Transmission Utility and others as provided in the Act..

9. **Activities of the Trading Licensee**

9.1 Any person granted license or a deemed licensee under Section-14 read with Section-12 or exempted under section-13 of the Act, other than being a transmission licensee, may engage in the business of trading in electricity in the state.

9.2 The Trading Licensee shall not without the prior approval of the Commission:

(a) Acquire any beneficial interest in any Generating Company of Generating Station; or

(b) Engage in the business of electricity distribution

9.3 The Trading Licensee shall seek approval of the Commission before making any loans to, or issuing any guarantee for any obligation of any Person, except when made or issued for the purposes of the Licensed Business. Loans to employees pursuant to their terms of service and trade advances in the ordinary course of business are excluded from the requirement to seek such approval.

9.4 Besides purchase price of Electricity as agreed on account of trading, there shall be other charges like Transmission charge and surcharge thereon, wheeling charge and additional surcharge thereon, as the case may be and as determined by the Commission from time to time under the provisions of Open Access Regulation in case open access is permitted to a consumer**.**

9.5 A person intending to engage in trading of electricity shall make an application in such form and manner as prescribed by the Commission and accompanied with such fees as prescribed by the State Government

TERMS AND CONDITIONS OF THE LICENCE

10. **Obligations of the Licensee**

The licensee shall be subject to the following obligations:

(a) The licensee shall comply with the requirements of laws in force and, in particular, the Act, the Rules and the Regulations, Grid Code, orders and directions issued by the Commission from time to time.

(b) The licensee shall increase his net worth, subject to provisions of clause 4, if the volume of trade moves from a lower category to a higher category or exceeds the permitted trade volume within the same category and such change shall be decided based on the volume of electricity traded as on 31st March of each year. The licensee shall keep the Commission informed of such changes;

Provided that the trader shall not be construed to have exceeded the permitted trade volume or moved to higher category until excess of traded electricity is within ten percent of the traded volume/month permitted by the Commission;

Provided further that such excess shall be attributed to unscheduled interchange and explainable exceptional circumstances.

(c) The trading margin for the intra-state trading fixed by the Commission, from time to time, shall be applicable to the licensee.

(d) The licensee shall be governed by the technical requirements, capital adequacy requirement and creditworthiness specified by the Commission in these regulations, for being an electricity trader and shall upgrade these technical and capital adequacy requirements including staff, when the volume of trading increases.

(e) The licensee shall establish adequate communication facilities like telephone, fax, computer, internet facilities, before undertaking the trading.

(f) The licensee shall render all assistance to any person authorized by the Commission for carrying out his duties relating to the licence.

(g) The trading shall be carried out bilaterally between the parties by entering into appropriate contracts. Necessary safeguards with regard to supply of electricity through trading, or payment for the electricity traded shall be included in the agreements between the parties. All trading arrangements shall be done through the letters of credit or with any other superior instrument.

(h) The licensee shall pay the licence fee specified under these regulations in accordance with the time-schedule specified hereunder.

(i) The Commission may issue such directions as it considers appropriate to a trading licensee if such licensee enters into any agreement leading to abuses of its dominant position or enters into a combination, which is likely to cause or causes an adverse effect on competition in electricity industry, and the licensee shall comply with such directions.

PROCEDURE FOR GRANT OF LICENCE FOR INTRA-STATE TRADING

11 All proceedings under these regulations shall be governed by the Conduct of Business Regulations.

12. (1) The application for grant of licence for intra-state trading shall be made to the Commission in the manner specified under these regulations, in Form-I appended to these regulations and shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Uttar Pradesh Government. Provided that till such time the fee is prescribed by the Uttar Pradesh Government, the application for grant of licence for intra-state trading shall be accompanied by a fee as per the UPERC (Fee & Fine) Regulations as applicable from time to time payable through Bank Draft/Pay Order drawn in favour of Secretary, Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission, Lucknow.

(2) The applicant shall publish a notice of his application as prescribed in the Conduct of Business Regulation and shall include, among others, the following:

(a) Name of the applicant in bold at the top clearly bringing out whether the applicant is an individual, a partnership firm, private limited company or a public limited company, incorporated under the Companies Act, 1956, giving full particulars of its office address and the registered office address in case of a Company incorporated under the Companies Act,1956.

(b) A statement that the applicant has made an application for grant of licence in intra-state trading under sub-section (1) of Section 15 of the Act, to the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.
(c) Share holding pattern, financial and technical strength, and management profile of the applicant.
(d) Volume of power intended to be traded during the first year after grant of licence and the future plans for trading during the next 3 years.

(e) Details of past experience of the applicant or the persons on its management in same or similar activity.
(f) Geographical areas within which the applicant will undertake trading in electricity as stated in the application made to the Commission.
(g) A statement to the effect that the application and other documents filed before the Commission from time to time, are available for inspection with the applicant, by any person.
(h) Name and address and other relevant details of the person under the control of the applicant with whom the application and other documents can be inspected by any person.
(i) A statement to the effect that complete application is available in the website of the applicant (Yes/No).

(3) As far as possible the licence shall be granted in accordance with format prescribed in Form-II appended to these regulations and may include other specific terms and conditions as the Commission deems fit and proper.

13. **Prohibited Activities**

(1) The licensee shall not, without prior approval of the Commission:
(i) Acquire by purchase or take over or otherwise the utility of any other licensee, or
(ii) Merge his utility with the utility of any other licensee, or
(iii) Assign or transfer his licence to any person, by sale, lease, exchange or otherwise.

(2) The licensee shall not engage in the business of transmission of electricity.

(3) Wherever prior approval of the Commission is required, the licensee shall file an appropriate application before the Commission, in accordance with the Conduct of Business Regulations.

14. **Payment of Licence Fees**

14.1 Within such period as the Commission may direct, the Trading Licensee shall pay to the Commission the Licence Fees, initial and also periodic, mentioned in the Special condition in such manner as the Commission may direct in the said Special Condition

14.2 Where the Trading Licensee fails to pay to the Commission any of the fees due under relevant clause of this regulation by the due dates:

(a) Without prejudice to other obligations, the Trading Licensee shall be liable to pay interest on the outstanding amount at a simple interest rate of 1.5 percent per month, the interest being payable for the period beginning on the day after which the amount became due, and ending on the day on which the payment is made to the Commission in cleared funds; and

(b) In the event of continued default by the Trading Licensee, the Commission may revoke the Trading Licence.

15. **Accounts of the Licensee**

15.1 Unless otherwise permitted by the Commission the financial year of the Trading Licensee for the purposes of these General Conditions and matters relating to the Licensed Business shall run from the first of April to the following thirty-first of March.

15.2 The Trading Licensee shall, in respect of the Licensed Business and any Other Business:

(a) keep such accounting records as would be required to be kept in respect of each such business so that the revenues, costs, assets, liabilities, reserves and provisions of, or reasonably attributable to the Licensed Business are separately identifiable in the books of the Trading Licensee, from those of Other Business in which the Trading Licensee may be engaged;

(b) prepare on a consistent basis from such accounting records and deliver to the Commission, the Accounting Statements; namely:-

(i) in respect of the first six months of each financial year, a Half Yearly profit and loss account, cash flow statement and balance sheet together with such supporting documents and information as the Commission may direct from time to time such statements and documents to be published in the manner directed by the Commission;

(ii) in respect of the Accounting Statements prepared, an Auditor's report for each financial year, stating whether in their opinion these statements have been properly prepared in accordance with this clause and give a true and fair view of the revenues, costs, assets,

liabilities, reserves and provisions of, or reasonably attributable to such businesses to which the statements relate; and

(iii) a copy of each Half Yearly profit and loss account not later than three months after the end of the period to which it relates, and copies of the Accounting Statements and Auditor's report not later than six months after the end of the financial year to which they relate.

15.3 The Trading Licensee shall not normally change the basis of charge or apportionment or allocation of revenues or expenses in relation to the preparation of the Accounting Statements in respect of a financial year from those applied in respect of the previous financial year, without prior intimation to the Commission. Any change, if proposed, in the basis of charge or apportionment of revenues or expenses shall be consistent with the provisions of the Companies Act, 1956, the Accounting Standards or Rules and any guidelines issued by the Commission in this regard.

15.4 Where, in relation to the Accounting Statements in respect of a financial year, the Trading Licensee has changed the basis of charge or apportionment or allocation from those adopted for the immediately preceding financial year, the Trading Licensee shall, if directed by the Commission, (in addition to preparing Accounting Statements on those bases which it has adopted), prepare and deliver to the Commission such Accounting Statements on the basis which it applied in respect of the immediately preceding financial year.

15.5 The Accounting Statements specified above shall, unless or otherwise approved or directed by the Commission:

(a) be prepared and published with the Annual Accounts of the Trading Licensee, in the manner provided herein;

(b) state the accounting policies adopted;

(c) be prepared in accordance with generally accepted Indian accounting standards; and

(d) be prepared in the form as the Commission may stipulate from time to time;

15.6 The references to costs or liabilities of, or reasonably attributable to Licensed Business or Other Business shall be construed as excluding taxation, and capital liabilities which do not relate principally to such Business and interest thereon.

15.7 The Trading Licensee shall ensure that the Accounting Statements in respect of each financial year prepared under this regulation and the Auditor's report in respect of each financial year are publicised in such manner as the Commission may direct and are made available to any Person requesting them at a price not exceeding the reasonable cost of duplicating them.

16. **Submission of Information**

16.1 The Trading Licensee shall furnish to the Commission without undue delay such information, documents and details related to the Licensed Business or any Other Business of the Trading Licensee, as the Commission may require for its own purposes or for the purposes of the Government of India, State Government, the State Transmission Utility, The State Load Dispatch Centre, the Central Commission and/or the Central Electricity Authority.

16.2 The Trading Licensee shall duly maintain the information as the Commission may direct under Section 128 of the Act.

16.3 The Trading Licensee shall duly inform the Commission about any incident restricting it from meeting its obligation under the licence granted including any act of omission or commission by others and steps taken by the Trading Licensee to mitigate the effect of such incident .The Trading Licensee shall notify the Commission as soon as possible the occurrence of any other incident which materially affect any part of its Trading activities and in any event, by not later than two months from the date of such occurrence:

(a) Submit a report to the Commission giving full details of the facts within the knowledge of the Trading Licensee regarding the incident and its cause;

(b) Trading Licensee can reasonably furnish and state reasons as to why Trading Licensee requires more than two months for giving full report of such incident; and

~~(c)~~ (c) Give copies of the report to all parties concerned with the Major Incident and to such other Persons as the Commission may direct.

16.4 The Commission may by order, after providing an opportunity of hearing direct the Trading Licensee to provide such amount of compensation as the Commission may direct to persons' who are affected or prejudiced by any act of commission, omission or negligence on the part of any of the employees or agents of the Trading Licensee.

16.5 The Trading Licensee shall also undertake such studies as the Commission may direct it to undertake from time to time in regard to the trading activities and any other matter concerning the Trading Business that the Commission considers necessary in the public interest. The Commission at its own discretion may require the submission of a report to be prepared by an independent person on the activities of the Trading Licensee at the cost and expense of the Trading Licensee.

16.6 The Commission may at any time require the Trading Licensee to comply with the provisions under this regulations in a manner, the Commission may direct and the Trading Licensee shall be obliged to comply with the same.

16.7 The Trading Licensee shall submit a Business Plan within three months of Trading Licence coming in force for such period as the Commission may direct and shall update such plan annually. The Business Plan shall contain year wise turnover projected profit and loss account, projected balance sheets, projected cash flow statements and projected important financial parameters.

16.8 The Trading Licensee shall comply with conditions of technical requirements, capital adequacy and credit worthiness as laid down by the Commission in the concerned Regulation and provide information in these regard and at such interval as specified by the Commission.

17. **Compliance of Norms :**

17.1 The Trading Licensee shall duly comply with the Regulations, guidelines, directions and orders the Commission may issue from time to time in regard to the technical and financial parameters and norms to be maintained at all times by the Trading Licensee. These shall include the Technical Requirements, Capital Adequacy and Credit Worthiness provided in Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Intrastate Electricity Trader) notified by the Commission as amended, modified or substituted from time to time;

17.2 The non-maintenance of the technical and financial parameters as per sub-clause (1) above shall amount to a material breach of the obligations of the Trading Licensee.

18. **Standards of performance**

The licensee shall furnish the performance details on a monthly basis, submitted each quarter, to the Commission in the format prescribed in Form - IV appended to these regulations, by 15 th day of month or as may be decided by the Commission, time to time.

19. **Prudential Reporting**

The licensee, shall, as soon as practicable report to the Commission:

(a) Any significant changes in its circumstances which may affect the licensee's ability to meet its obligations under the Act, rules and regulations directions/orders issued by the Commission, the Grid Code, agreement or the licence.

(b) Any material breach of the provisions of the Act, the rules and the regulations, directives/orders issued by the Commission, the Grid Code, agreement or the licence.

(c) Any major change in shareholding pattern, ownership, or management of the licensee.

20. **Amendment of Licence:**

20.1 Amendment of License shall be governed by the provisions of the UPERC (Conduct of Business) Regulation as amended from time to time unless specified otherwise in this regulation and the license**.**

20.2 These General Conditions of License may be altered or amended by the Commission at any time it deems fit if it is in public interest in exercise of powers under Section 18 of the Act. For any such alteration or amendment, before any alterations or amendments in the Trading License are made, the following provisions shall have effect:

(a) Where the Trading Licensee has made an application under Section 18, sub-section (1) of the Act proposing any alteration or amendment in the General Conditions of License, the Trading Licensee shall publish a notice of such application with such particulars and in such manner as may be directed by the Commission;

(b) In the case of an application proposing alterations or modifications in the area of activity comprising the whole or any part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Government for defence purposes, the alterations or modifications shall be made only with the consent of the Central Government;

(c) Where any alterations or amendments in a license are proposed to be made otherwise than on the application of the Trading Licensee, the Commission shall publish the proposed alterations or amendments with such particulars and in such manner as the Commission consider to be appropriate;

~~(d)~~(d) The Commission shall not make any alterations or amendments unless all suggestions or objections received within thirty days from the date of the first publication of the notice have been considered by the Commission.

21. **Revocation of Licence:**

21.1 Provisions and procedure of Revocation of Licence shall be as per the provisions of UPERC (Conduct of Business) Regulation unless specified otherwise in this regulation and the license.

21.2 Subject to the provisions of section 19 of the Act and the Regulations framed thereunder, the Commission may, at any time initiate proceedings against the Trading Licensee for revocation of the Trading Licence and if satisfied in such proceedings on the grounds for revocation duly considering the public interest, revoke the Trading Licence:

(a) Where the Trading Licensee in the opinion of the Commission, makes material breach or wilful default in doing anything required of him by or under this Act or the State Act or the rules or regulations made thereunder

(b) Where the Trading Licensee violates any of the terms or conditions of his licence the breach of which is expressly declared by such licence to render it liable to revocation;

(c) Where the Trading Licensee fails, within the period fixed in this behalf by his licence, or any longer period, which the Commission may have granted therefore-

(i) to show, to the satisfaction of the Commission, that he is in a position to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on him by his licence; or

(ii) to make deposits or furnish the security, or pay the fees or other charges required by his licence;

(d) Where in the opinion of the Commission the financial position of the Trading Licensee is such that he is unable to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed on him; and.

(e) Where the Trading Licensee has failed to comply with all the Regulations, codes, and standards and also orders and directions of the Commission or otherwise has committed an act which renders Trading Licence revocable on any other grounds stated in the Act or the State Act or the Rules or Regulations framed there under.

21.3 Where in its opinion the public interest so requires, the Commission may, on application, or with the consent of the Trading Licensee, revoke his licence as to the whole or any pa rt of his area of Trading upon such terms and conditions as it thinks fit.

21.4 Before revoking a Trading Licence the Commission may make such alternate arrangement to be made for discharging the duties of the Trading Licensee which the Commission considers necessary in public interest and all such arrangement shall be at the cost and risk of the Trading Licensee.

22. **Communication**

(1) All communications relating to the licence shall be in writing and shall be delivered either in person to the addressee or his authorized agent, or sent by registered/speed post at the place of business of the addressee.

(2) All communications shall be regarded to have been given by the sender and received by the addressee.

(i) When delivered in person to the addressee or to his authorized agent;

(ii) On expiry of 15 days from the date of sending by registered/speed post at the address of the addressee.

23. **Dispute Resolution**

23.1 The Commission shall be entitled to act as arbitrator or nominate person(s) as arbitrator(s) to adjudicate and settle disputes between the Trading Licensee and any other licensees or between the Trading Licensee and generating companies in pursuance of clause (f) of sub-section (1) of section 86 read with section 158 of the Act and Regulations of the Commission.

23.2 The arbitration proceedings for disputes may be commenced and conducted by the Commission or the disputes may be referred to the arbitration of others, as the case may be, in accordance with the Conduct of Business Regulations specified by the Commission.

24. **Trading Margin :**

24.1 The Trading Licensee shall calculate the expected revenue from charges which it is permitted to recover as a trading margin if considered necessary, in accordance with the provisions of the Act, the State Act, the Regulations of the Commission, the tariff terms and conditions and other guidelines, orders and directions issued by the Commission from time to time.

24.2 The Trading Licensee shall file the Expected Revenue Calculation in the manner provided in the Conduct of Business Regulations and consistent with the Regulations under section 61 of the Act

24.3 Unless otherwise provided in the Special Conditions or in any order or direction made by the Commission the Trading Licensee shall every year, not later than 31st November, submit to the Commission a Statement with full details of its expected aggregate revenues and cost of service for the ensuing financial year for its Licensed Business based on the trading margin allowed by the Commission, in accordance with the provisions of the Act and the regulations, guidelines and orders issued by the Commission from time to time.

25. **Miscellaneous**

25.1 All issues arising in relation to interpretation of these General Conditions and as to the terms and conditions thereof shall be a matter for the determination of the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final, subject only to the right of appeal under section 111 of the Act.

25.2 The Commission may at the time of grant of Trading Licence waive or modify the application of any of the provisions of these General Conditions either in the order granting the licence or by Special Conditions made applicable to a specific Trading Licensee

25.3 The General conditions contained herein shall apply to all applicants for grant of Trading Licence after the coming into force of the Act and also to all deemed Trading Licensees under section 14 proviso first, second, third and fifth of the Act

26. **Issue of orders and practice directions:-**

Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and this regulation, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of this Regulation and procedure to be followed and various matters, which the Commission has been empowered by this regulation to direct, and matters incidental or ancillary thereto.

27. **Power to remove difficulties:-**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

28. **Power to Amend: -**

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

29. These Regulations are made in English & translated into Hindi. In case of dispute, English version shall prevail.

By Order of the Commission

Secretary to the Commission

Dated:

Place: Lucknow

FORM - I

(Procedure Terms & Conditions for grant of Trading Licence for Intrastate Electricity Trader and other related provisions) Regulation, 2003.

Application form for grant of Trading Licence

Particulars of the Applicant

1. Name of the applicant:
2. Address:
3. Name, Designation & Address :of the contact person
4. Contact Tel. Nos.:
5. Fax No.:
6. E-mail ID:
7. Place of Incorporation/Registration:
8. Year of Incorporation/Registration:
9. Following documents are to be enclosed

a) Certificate of registration:
b) Certificate for commencement of business:
c) Original power of attorney of the signatory to _____ the Applicant or its promoter:
d) Details of Income tax Registration:

FORM - I

Details of Financial Data of Applicant

10. Net worth (in equivalent Indian Rupees-conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable): (DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)

In Home Exchange In equivalent
Currency rate used Indian Rs.

a) Year 1( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
b) Year 2( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
c) Year 3() to ( ) ---------- ---------- ----------
d) Year 4( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
e) Year 5( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
f) Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

11. Annual Turnover (in equivalent Indian Rupees - conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable): (DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)

In Home Exchange In equivalent
Currency rate used Indian Rs.

a) Year 1( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
b) Year 2( ) to ( ) ---------- ---------- ----------

FORM - I

c) Year 3( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
d) Year 4( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
e) Year 5( ) to ( ) ---------- ---------- ----------
f) Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

12. List of documents enclosed in support of Sl. Nos. (10) and (11) above:

Name of the document

a) _____
b) _____
c) _____
d) _____

13. a) Whether applicant himself shall be financing the proposed trading fully on its own balance sheet: Yes/No
    b) If, Yes, proposed equity from the applicant

i) Amount :

ii) Percentage :

14. In case the applicant proposes to tie up with some other Agency for equity, then name & address of such agency:

a) Name, designation & Address of reference person of the other Agency:

b) Contact Tel. No. :

c) Fax No. :

FORM - I

d) E-mail ID :

e) Proposed equity from the other Agency

i) Amount :

ii) Percentage of total equity :

iii) Currency in which the equity is proposed:

f) Consent letter of the other Agency to associate with the Applicant for equity participation to be enclosed.

g) Nature of proposed tie-up between Applicant and the other agency.

15. Details of debt proposed for the Trading activity:

a) Details of Lenders :

b) Amount to be sourced from :

Various lenders

c) Letters from the lenders in support of the above to be enclosed.:

16. Organisational & Managerial Capability of Applicant:

(Applicant is required to enclose proof of their Organizational & Managerial Capability, in terms of these Regulations)

17. **Approach & Methodology:**

(Applicant is required to describe Monthly Trade Volume and Future Plans of Trading, Approach & Methodology for establishment of the Trading arrangements as proposed by the applicant.)

ै;पहदंजनतम वि।चचसपबंदजद्ध

Dated :

Place:

Note: Annex declarations, in form of proposed organizational structure & curricula vitae of various Executives, proposed office and communication facilities etc

FORM II

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

LICENSE TO TRADE IN ELECTRICITY AS AN ELECTRICITY TRADER

1. The UTTAR PRADESH Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "the Commission"), in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act"), hereby grants this licence to _____, (hereinafter referred to as "the licensee") to trade in electricity as an electricity trader in the area _____ subject to the terms & conditions contained in the Act, (in particular, Sections 17 to 22 thereof, both inclusive), the Rules made by the UTTAR PRADESH Government (hereinafter referred to as "the Rules") and the Regulations specified by the Commission (herein after referred to as "the Regulations"), including statutory amendments, modifications, reenactments thereof, which shall be read as part and parcel of this licence.
2. This licence is not transferable, except in accordance with the provisions of the Act, the Rules and the Regulations.
3. (1) The licensee shall not without prior approval of the Commission—
(a) Undertake any transaction to acquire by purchase or take over or otherwise, the utility of any other licensee; or
(b) Merge its utility with utility of any other licensee;
(2) The licensee shall not at any time assign its licence, or transfer its utility, or any part thereof, by sale, lease or otherwise without the prior approval of the Commission.)
(3) Any agreement relating to any transaction referred to in sub-clause (1) unless made with the approval of the Commission, shall be void.
4. The grant of this licence to the licensee shall not in any way hinder or restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for trading in electricity as an electricity trader. The licensee shall not claim any exclusivity.

FORM II

5. This licence shall commence on the date of its issue and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years or as mentioned in the order.
6. The licensee may with prior intimation to the Commission, engage in any business for optimum utilisation of its assets.

Provided that the licensee shall not engage in the business of transmission of electricity.

7. Unless otherwise specified by the Commission, the licensee shall pay annual license fee of Rs.___ lakh, and license fee for a part of the year shall be paid on pro-rata basis. The year for the purpose of this clause means a period of twelve months from 1st April of a year to 31st March of the following year.
8. The provisions contained in Sections 19 to 22, both inclusive of the Act shall apply to the licensee with regard to revocation of licence and sale of utility of the licensee.
9. (Any specific condition(s) to be laid down by the Commission)

SECRETARY

Place: Lucknow.
Date:

FORM - III

(Procedure Terms & Conditions for grant of Trading Licence for Intrastate Electricity Trader and other related provisions) Regulation, 2003.

Proforma for submission of information for the Quarter (say January to March, 2004)

Name of the Trader:
License details (No & date):
S. No.
Volume of Trading in million Kwhs (for each month) :
Purchased from:
Sold to:
Point of purchase:
Purchase price;
Point of sale:
Sale price:
Transmission /wheeling charges borne by Seller/ Trader/Buyer*
Transmission losses borne by Seller/ Trader/ Buyer*
UI charges borne by Seller/ Trader/ Buyer*
Remarks

- Strike out whichever is not applicable.

FORM-IV

(Procedure, Terms & Conditions for grant of Trading License and other related matters) Regulation, 2003

Proforma for submission of Standards of Performance of Electricity Trader

(month wise position to be submitted through SLDC each quarter)

Name of the Trader:

License details (No. & date):

S. No	Volume of trading during the quarter	Cumulative trading upto the present quarter	Whether there is any change in the category of trader (Yes / No)	Whether networth is increased, due to change of category (Yes / No)	Whether additional license fee, due to change in category deposited with the Commission (Yes / No)	Whether any violation to the license conditions pointed out by any agency or observed by the licensee himself	Payment track record for energy purchased for trading	Remarks

.